अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक जानकी राम उर्फ मानकी रजक ....प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष फुलवा देवी वगैरह ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....201..सन् 2021

धारा 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
03/11/21	आवेदक मानकी राम उर्फ मानकी रजक पे० गिरन रजक, सा०- माहुरी थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह से प्राप्त आवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त	378 / 03/11/21

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1		
पृ12च	आवेदक के आवेदन से सम्बद्ध [illegible] भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है साथ ही अन्य पक्षों से दिनांक 18/11/14 को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निषेधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। विवादग्रस्त भूमि का विवरण :— मौजा - परसुन, खाता सं0 173 प्लॉट सं0 3236 रकबा 38 डी0 थाना सं0 [illegible] पूरब [illegible] - [illegible] एवं रास्ता, द0 - [illegible] महतो उ0 - [illegible] महतो - [illegible] लेखांकित एवं संशोधित। अनु0 पदा0 कार्यपालक दण्डाधिकारी अनु0 [illegible] कार्यपालक दण्डाधिकारी	
18/11/14	अभिलेख उपस्थापित। अन्य पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वारा निषेधाज्ञा के उल्लंघन की सूचना दी गई है। थाना प्रभारी बगोदर से प्रतिवेदन माँगें। द० 25/11/21 18/11	
25/11/21	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। थाना प्रभारी बगोदर द्वारा निषेधाज्ञा के उल्लंघन का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है तथा IPC की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाई करने की अनुशंसा की गई है। इस हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के सदस्यों में अतिरिक्त नाम शामिल करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे स्वीकृत किया जाता है। द० 9/12/21 25/11 अनु० प०उ०	
09/12/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा द्वितीय दाखिल किया गया है। ~~प्रथम~~ पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के द्वारा समय की मॉंग की गई जिसे स्वीकृत किया जाता है। ता० 23/12/21	
23.12.21	उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा S/C दाखिल। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आदेशार्थ दिनांक 30/12/21 रखें।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30/12/21	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि खाता - 173, प्लाट - 3236 रकबा 38 डी. उन्हें रोहन महतो, टालो महतो, कुंजलाल महतो द्वारा मौजा- जरमुंडे ~~[illegible]~~ उन्हें अनिबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से हासिल है। आगे कहना है कि विक्रय पत्र सं0- 7733 दिनांक- 1.5.1970 द्वारा ~~[illegible]~~ खाता- 173 के अन्य प्लाटों की जमीन का क्रय किया गया था, परन्तु भुलवश प्रश्नगत भूमि अंकित नहीं हो पाया। चूँकि The Indian Registration Act के प्रावधानों के अनुसार 100 रु से कम की सम्पत्ति को निबंधित करवाने की आवश्यकता नहीं है, अतः प्रथम पक्ष गैर निबंधित विक्रय पत्र के आधार पर भूमि पर दखलकार हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर जबरन घेराबंदी का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में गैर निबंधित विक्रय पत्र की छाया प्रति,	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	विक्रय पत्र सं० 7733 दिनांक - 1.5.1970 की छाया प्रति, स्व० वाद सं० 1170/67 में पारित आदेश की छाया प्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा विस्तृत कारण पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार खाता- 173 की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार मानिक कुर्मी वल्द हरपाल कुर्मी की है। खतियानी रैयत के वंशज डाली महतो एवं कुसल महतो द्वारा स्व० वाद सं० - 1170/1967 लाया गया तथा उनके पक्ष में डिक्री प्राप्त हुआ। प्रश्नगत भूमि उक्त डिक्री में अंकित है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण उक्त डिक्रीधारक के वंशज हैं। अतः प्रश्नगत भूमि के स्वत्व धारक द्वितीय पक्ष के सदस्यगण हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निबंधित विक्रय पत्र सं० 3228 दिनांक - 01.07.1943 की छाया प्रति एवं स्वत्व वाद सं० 1170/1967 में पारित आदेश की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उभय पक्षों द्वारा दाखिल दस्तावेजों एवं कारण पृच्छा से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष अनिबंधित विक्रय पत्र के आधार	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	पर दावा कर रहे हैं। विक्रय-पत्र में सम्पत्ति का मूल्य 50 रु मात्र है, अतः यह एक वैध दस्तावेज है, परन्तु इसके आधार पर जमीन का नामांतरण प्रथम पक्ष के हित में नहीं हुआ है, अतः यह दस्तावेज संदेह के परे नहीं है। वहीं द्वितीय पक्ष को डिक्री द्वारा भूमि हासिल है, परन्तु उनका नामांतरण का उल्लेख द्वितीय पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। उक्त परिस्थिति में निषेधाज्ञा को समाप्त करते हुये आदेश दिया जाता है कि भूमि के नामांतरण हेतु अंचल अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखें। अंचल वैध दस्तावेज एवं दखल-कब्जा के आधार पर अग्रतर कार्यवाई करें। उक्त विवेचन के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। 30/12/21	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.02.21 17:06:36 +05:30
Location: 192.168.43.238